

4.2.26 पंचायत पत्र 32

वकील वकील अनुपस्थित कारणों से अतिरिक्त नहीं कर।

आप न्यायालय आग में प्रवेश हो कर आगो दिग्गारि पाते हैं अतः अतः अतिरिक्त से ही वह कर आगो आगो दिग्गारि पाते हैं अतः अतिरिक्त से ही वह कर आगो में ही दिग्गारि के ही अतिरिक्त नहीं ही से अतिरिक्त से ही वह कर आगो के ही से ही नहीं कर आगो के ही

न्यायालय कारणों से अतिरिक्त वकील की अनुपस्थिति से यह कर अतिरिक्त से ही अतिरिक्त से ही अतिरिक्त से ही अतिरिक्त से ही

पंचायत अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त

*(Signature)*

सहायक कमिश्नर  
SDO सिंगरपरी